<u>महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता</u>

<u>पत्रांक: 01/2017 आर0जी0- 555 /दस-2017-107(03)/16</u>

प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

<u>वित्त संसाधन(सामान्य)अनुभाग</u> **<u>लखनऊ: दिनांक: 9 मई, 2017</u>**

विषय: जनपद के कर-करेत्तर राजस्व लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्तियॉ/समग्र उपलब्धि के आधार पर जनपदों की ग्रेडिग के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मेरे पत्र संख्या- आर0जी0-602/106(08)/15-दस-2015, दिनांक 23 जुलाई, 2015 तथा पत्र सख्या-आर0जी0-1208/दस-2015-107(03)/15, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 का संदर्भ लेना चाहें, जिसके द्वारा आपके जनपदों हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की पॉच मुख्य करों की छमाही(सितम्बर/मार्च) समग्र उपलब्धि के आधार पर प्रथम पॉच जनपदों को चयनित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त ग्रेडिग प्रणाली को संशोधित किया जाता है, जिसके अनुसार पुरस्कार हेतु वहीं प्रथम पॉच जनपद क्रमानुसार पात्र हो सकेंगे, जिनकी छमाही समग्र उपलब्धि 110 प्रतिशत या उससे अधिक रहेगी । आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों की शत् प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हेतु विशेष प्रयास किये जाये, जिससे प्रदेश के राजस्व में अभिवृद्धि हो सके ।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संख्याः 1/2017 आर0जी0- 555(1)/दस-2017-107(03)/16 तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य-कर, उत्तर प्रदेश शासन ।

(3) अपर मुख्य सचिव, मनोरंजन-कर, उत्तर प्रदेश शासन ।

(4) अपर मुख्य सचिव,आबकारी, उत्तर प्रदेश शासन ।

(5) अपर मुख्य सचिव, अलौह खनन एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश शासन ।

(6) प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन ।

(7) प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,

(मुकेश मित्तल)
सचिव, वित्त ।